न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 12/2015 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2015/00040**

1. मु. रमजानी पत्नी स्व. कालू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम चांडासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. रज्जाक } पिसरान कालू खां जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम चांडासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. राजू }
4. श्रीमति भंवरी पुत्री कालू खां पत्नी हीरे खां मुसलमान हाल गजनेर, कोलायत।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुगनी पुत्री अल्लाबक्स जाति मुसलमान निवासी सिक्कों की मस्जिद के पास, बीकानेर।
2. बशीरा पुत्री अल्लाबक्स जाति मुसलमान निवासी गजनेर तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।
3. बाबु खां } पिसरान जन्नत पुत्र हुसैन जाति मुसलमान निवासी सिक्कों की मस्जिद के पास, बीकानेर।
4. मनफूल }
5. रमजानी पुत्री जन्नत पत्नी हुसैन खां मुसलमान निवासी कस्साईयों की बारी बीकानेर।
6. धापा पुत्री जन्नत जाति मुसलमान निवासी गुड़ा तहसील कोलायत, बीकानेर।
7. नसिया पुत्री अल्लाबक्स पत्नी मोले खां, मुसलमान निवांसी कसाईयों का चौक, बीकानेर
8. सरपंच ग्राम पंचायत चांडासर पं.स. कोलायत जिला बीकानेर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री जयचन्द सारस्वत — अभिभाषक अपीलांट्स
राजकीय अभिभाषक — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 5 एवं 6

निर्णय

दिनांक 06.11.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 01.12.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

1— वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम बलाला स्थित खसरा नंबर 63 की 95 बीघा 17 बिस्वा भूमि का 1/2 हिस्सा अपीलांट्स के पति एवं पिता के नाम इंतकाल संख्या 99 दिनांक 16.12.1982 विरास्तन दर्ज हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 ने उक्त इंतकाल संख्या 99 दिनांक 16.12.1982 के विरूद्ध प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत में प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत ने रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 7 की उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 को आंशिक स्वीकार कर इंतकाल संख्या 99 दिनांक 16.12.1982 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कोलायत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड कर दी की कानून की नजर में विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामांतरकरण दर्ज करें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत उक्त के आदेश दिनांक 01.12.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्य 1 ता 7 ने ग्राम बलाला स्थित खसरा नंबर 63 की 95 बीघा 17 बिस्वा भूमि का 1/2 हिस्सा अपीलांट्स के पति एवं पिता के नाम इंतकाल संख्या 99 दिनांक 16.12.1982 जो विरास्तन दर्ज हुआ उसके विरूद्ध अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर 29 साल बाद पेश की गई जिसका ऐतराज अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में भी उठाया था। इतने लम्बे समय बाद अपील पेश करने का कोई स्पष्ट कारण भी मियाद प्रार्थना–पत्र में दर्ज नही किया गया। जबकि उक्त प्रकरण की अपील पेश करने की मियाद 30 दिन ही हैं। इसके अलावा जो भूमि ग्राम चांडासर में है उसका इंतकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 के पक्ष में दर्ज हुआ है। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 को इंतकाल संख्या 99 की जानकारी उसी समय हो गई थी। इंतकाल संख्या 99 दिनांक 16.12.1982 को दर्ज करते समय अपीलांट के पति एवं पिता कालू खां मौजूद थे तथा कालू खां की बहिन सुगनी, बसीरा, जन्नत, नसिया ने अपना हिस्सा कालू खां के पक्ष में रिलीज कर दिया, तत्पश्चात ग्राम पंचायत, गजनेर द्वारा विधिवत रूप से इसे स्वीकृत किया तत्पश्चात कालू खां की मृत्यु होने पर कालू खां के जायज कानूनी वारिसान अपीलांट के नाम विरास्तन इंतकाल दर्ज किया गया एवं 1/2 जिस्से के सह–हिस्सेदार शामदीन, गुलाम खां, धूड़ी, चोरूखां पिसरान कम्में खां का 1/2 हिस्सा अपीलांट का विभाजन करवाया गया जिसका इंतकाल संख्या 152 दिनांक 17.09.1998 को तहसीलदार, कोलायत द्वारा स्वीकृत किया गया। जिसके अनुसार खसरा नंबर 63 के दो भाग बनाकर 63/1 तादादी 47 बीघा 18 बिस्वा अपीलांट के नाम से एवं 63/2 तादादी 47 बीघा 19 बिस्वा अन्य सह हिस्सेदार शामदीन वगैरह के नाम दर्ज किया गया। जिसका इंद्राज सैटलमैन्ट होने के पश्चात नये खसरा नं 107 तादादी 12.12 हैक्टयर बदस्तूर अपीलांट के नाम दर्ज चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई जांच किए बगैर नामांतरण जैसी सरसरी कार्यवाही में हक–हिस्से का निर्धारण अधिनस्थ न्यायालय को हासिल नहीं होने के कारण अपीलाधीन आदेश स्वतः शून्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर इंतकाल संख्या 99 दिनांक 16.12.1982 को बहाल घोषित किया जावें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 5 एवं 6 ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 स्व. श्री अलाबक्स के कानूनी वारिसान है। खातेदार अलाबक्स के चार औलाद थी। एक लड़का कालु खां

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

और चार पुत्रीयां जन्नत, बसीरा, नारिया, सुगनी, वारिसान थे। ग्राम पंचायत चांडासर द्वारा इंतकाल संख्या 99 स्वीकृत करने से पूर्व अपीलांट के वारिसान के बाबत कोई जांच नही की गई ना ही रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का मौका दिया गया। स्व. अलाबक्स के नाम से ग्राम रोही बलाल हल्का पटवार कोडमदेसर में पुराना खसरा नंबार 63/1 रकबा 47 बीघा 18 बिस्वा खातेदारी स्थित है। स्व. अलाबक्श के एक पुत्र और चार पुत्रीया है। जिसमे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 2 का 1/5 एवं 1/5 हिस्सा, स्व कालू खां के वारिसान का 1/5 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 का 1/5 हिस्सा है। परन्तु उतराधिकार के रूप में अपीलांट्स ने अपना नाम से इंतकाल दर्ज करवा लिया व रेस्पोडेन्ट संख्या का नाग अंकित कराने से वंचित रखा। स्व. अलाबक्श की कृषि भूमि जिसका खसर नंबर 262, 258/228 में वाकैं राही चाण्डासर में स्थित थी। जिसका इंतकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 2 व 3 ता 6 की माता स्व श्री जन्नत का बहिस्सा बराबर दर्ज है। वादगत भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स का अपने हिस्से पर कब्जा काश्त है। जब रेस्पोडेन्ट संख्या 3 बैंक से केसीसी ऋण लेने के लिए हल्का पटवारी के पास गया तो हल्का पटवारी ने कहा की उक्त वादगत भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम नही है। दिनांक 21.11.2011 को रेस्पोडेन्ट को नकल प्राप्त हुई तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अतः इंतकाल संख्या 99 ग्राम पंचायत चाण्डासर निरस्त फरमाया जावें एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 का विरास्तन इंतकाल दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।

4—हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत ने रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 7 की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार कर इंतकाल संख्या 99 दिनांक 16.12.1982 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कोलायत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड कर दी की कानून की नजर में विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश पारित किया। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.12.2014 पारित करने से पूर्व ना तो समस्त राजस्व रिकार्ड के अध्ययन किया और ना ही अपीलांट द्वारा 29 वर्ष बाद की गई अपील में मियाद पर कोई निर्णय किया। जो न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ~~छत्तरगढ़~~ कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.12.2014 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं पूर्ण जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 06.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर